बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Shashi Bhushan Singh(Regd. No-247/2008) Add:- S/O Late Shakaldev Singh, P.S- Barahia, Dist- Lakhisarai Pincode-811302 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–10941 दिनांक 08.09.2015 द्वारा कालीकृत किये जाने के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–1590/2025 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.05.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

14/01/2026

आदेश

याचिकाकर्त्ता/संवेदक Shashi Bhushan Singh(Regd. No-247/2008) Add:- S/O Late Shakaldev Singh, P.S- Barahia, Dist- Lakhisarai Pincode-811302 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत संवेदक को आवंटित पथ निर्माण कार्य संवेदक द्वारा ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10941 दिनांक 08.09.2015 द्वारा संवेदक शशि भूषण सिंह को कालीकृत किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 21.07.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नरूपेण हैः–

01. संवेदक शशि भूषण सिंह को कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत(i) टी01 से सतसंदा (Package No. BR-19R-099) (ii) हलसीतराही पथ से बनपुरा (Package No. BR-19R-058) (iii) टी02 से शिवसेना (Package No. BR-19R-046) (iv) कमारपुर से बड़हिया (Package No. BR-19R-037) (v) एन0एच0 80 से दरियापुर से अलीवाली (Package No. BR-19R-04) पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया।
02. उक्त पथ निर्माण कार्य संवेदक द्वारा एकरारनामा के अनुरूप पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण एकरारनामा विखंडित किये जाने के उपरांत बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10941 दिनांक 08.09.2015 द्वारा संवेदक शशि भूषण सिंह को कालीकृत को कालीकृत किया गया।(कालीकरण आदेश में संवेदक को कालीकृत किये जाने की अवधि का उल्लेख नहीं है)
03. उक्त कालीकरण आदेश में संवेदक को कालीकृत किये जाने की अवधि स्पष्ट नहीं होने के कारण उक्त कालीकरण आदेश विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10941 दिनांक 08.09.2015 को निरस्त किये जाने हेतु संवेदक शशि भूषण सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–14159/2024 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।
04. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–14159/2024 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.10.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"2. Without going into merit or demerit of the case, having regard to the fact that the petitioner has already ventilated his grievance to the respondent No. 4, the present writ petition is disposed of at the stage of admission with the consent of both the parties directing the respondent No. 4 to consider the representation made by the petitioner (Annexure-P/3) as

expeditiously as possible preferably within a period of eight week from today.

3. With the above direction, the present writ petition stands disposed of."

05. उक्त न्यायादेश के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 26.10.2024 को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कमरपुर से बड़हिया रोड पथ के कार्य समाप्ति के पश्चात उक्त पथ के विरूद्ध जमा राशि यथा अग्रधन की राशि सुरक्षित राशि सूद सहित भुगतान हेतु अनुरोध किया गया।

06. तदालोक में संवेदक से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा का सकारण आदेश ज्ञापांक 2049 दिनांक 12.12.2024 द्वारा संवेदक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

07. तदोपरांत संवेदक द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः-1590/2025 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

08. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः-1590/2025 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.05.2025 को न्यायादेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया। संदर्भित वाद में पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः-

"4. In that view of the matter, we consider it desirable to permit the petitioner to approach the Chief Engineer/Competent Authority within a period of two weeks and seek a modification of the order, making such order of blacklisting limited for a particular period.

5. The Chief Engineer/Competent Authority shall consider the facts of this case and shall pass a reasoned order on such representation, taking into account that the petitioner has remained blacklisted for approximately ten years by now. The Competent Authority shall decide the issue within a period of four weeks from the date of receipt of the representation by the petitioner.

6. The petition stands disposed of accordingly."

09. उक्त न्यायादेश के आलोक में संवेदक द्वारा मुख्य अभियंता-03 के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसे मुख्य अभियंता-03 का पत्रांक 563 अनु0 दिनांक 23.05.2025 एवं पत्रांक 1086 अनु0 दिनांक 13.08.2025 द्वारा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव को अग्रसारित करते हुए पारित न्यायादेश के अनुपालन में Speaking Order पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

10. तदालोक में उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं को उठाया गया :-

(क) ज्ञापांक 405 दिनांक 19.03.2013 एवं ज्ञापांक 10941 दिनांक 08.09.2015 की जानकारी उपलब्ध नहीं था। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा का सकारण आदेश दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुई है।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सकारण तार्किक आदेश पारित किया जाय।

(ग) पूर्व में जमा NSE एवं EMD की लंबित राशि को वापस किया जाय।

11. दिनांक 12.12.2025 को उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त निम्नांकित निदेश दिया गया है कि उक्त अंश–क एवं अंश–ख पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा को अगली सुनवाई दिनांक 07.01.2026 (बुधवार) को 10.00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित बैठक में स्थिति स्पष्ट करने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया।

12. संदर्भित मामले में माननीय न्यायालय सक्षम प्राधिकार के समक्ष Modification Order तैयार करने एवं सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। यद्यपि Modification Order अभियंता प्रमुख द्वारा दिया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योकि उक्त मामले में इसी स्तर पर कार्रवाई हो रही है।

अतः बतौर अपीलीय प्राधिकार अद्योहस्ताक्षरी द्वारा न्यायालय के अनुपालन में आदेश पारित किया जा रहा है।

13. उक्त सुनवाई में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, शेखुपरा के अपने पत्रांक 72 दिनांक 12.12.2025 द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से बताया गया कि कार्य के निष्पादन से सबंधित पत्राचार का उल्लेख कार्यपालक अभियंता ने निर्गत पंची की प्रतिलिपि के साथ दिया गया है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त आदेश आज भी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा सकारण आदेश के प्रति के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि आई0टी0 मैनेजर को 08.09.2015 को प्रेषित है।

ऐसे में कालीकरण की जानकारी नहीं होना प्रथम दृष्टया तर्कसंगत नहीं है।

14. मूलतः Blacklisting आदेश Particular Period के लिए हो, के बिन्दु पर याचिकाकर्त्ता को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गयी है। याचिकाकर्त्ता ने यह बताया गया कि तामिला नहीं होने के कारण ससयम उक्त आदेश के विरूद्ध नियमसंगत अपील नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि तत्सयम कार्य न होने के पीछे प्रमुख कारण जमीन संबंधी कुछ विवाद था। इस बिन्दु पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा पारित आदेश 2049 दिनांक 12.12.2025 में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डाला गया।

15. सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः– 1590 / 2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2025 न्यायादेश पारित करते हुए दिनांक 08.09.2015 को निर्गत कालीकरण आदेश के आलोक में अभ्यावेदन (Representation) को निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। संवेदक द्वारा जमा NSE एवं EMD की लंबित राशि को जब्त करने का निदेश दिनांक 08.09.2015 को निर्गत कालीकरण से पृथक आदेश है। अतः NSE तथा EMD पर सुनवाई करना संभव नहीं है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक शशि भूषण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मूल Blacklisting आदेश अनिश्चितकालीन अवधि को Truncate करते हुए दिनांक 31.03.2027 तक निर्धारित किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–08/2025 636 /पटना, दिनांक– 15-1-26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1/26

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–08/2025 636 /पटना, दिनांक– 15-1-26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–08/2025 636 /पटना, दिनांक– 15-1-26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/1/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–08/2025 636 /पटना, दिनांक 15-1-26

निबंधत

प्रतिलिपिः– संवेदक Shashi Bhushan Singh Add:- S/O Late Shakaldev Singh, P.S- Barahia, Dist- Lakhisarai Pincode-811302 को सूचनार्थ प्रेषित।

15/1/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–08/2025 636 /पटना, दिनांक– 15-1-26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1/26

सरकार के अपर सचिव